



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सं.सीबीएसई/मुख्या./कार्मिक-ए/2019/160-168

दिनांक: 10 जनवरी 2019

परिपत्र

बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के फलस्वरूप, यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारियों की उचित पहचान के लिए सभी फाइलों पर कार्य करते हुए बोर्ड के सभी कर्मचारी अपने सीबीएसई कर्मचारी कूट को तत्काल प्रभाव से अपने हस्ताक्षर/आद्यक्षर के नीचे लिखेंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

हस्ता/-

(जयप्रकाश चतुर्वेदी)

उप सचिव (प्रशा. एवं विधि)

प्रतिलिपि:-

1. माननीय अध्यक्ष, सीबीएसई के निजी सचिव
2. बोर्ड के सचिव/परीक्षा नियंत्रक/निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक
3. संयुक्त सचिव (आई.टी.)/प्रमुख(पीआरओ)/आई.ए.एफ.ए.सीबीएसई के नि.सचिव/नि.सहा.
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय अधिकारी, उत्कृष्टता केंद्र प्रमुख के अनुपालन हेतु
5. सीबीएसई के अनुभाग अधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारियों को उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सहित
6. अध्यक्ष सीबीएसई, एसबीएसडब्ल्यूए
7. कार्मिक फाइल
8. नोटिस बोर्ड
9. गार्ड फाइल



“शिक्षा केन्द्र”, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
“SHIKSHA KENDRA” 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

